

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

गुरलाल सिंह बनाम राजविन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 53 आरटीए नम्बर 240 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/295


तामिल
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामिल
में जारी हुए

19.07.2023

वादी गुरलाल सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख
निवासी 36 एफ तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री
जसकरण गोदारा ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश किया।
वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन
तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 23.08.2023 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

13/8/23

वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रूक
कर 3 बार आवाज लगाई गई
फौरन उपस्थित नहीं आया। वादी
का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA
इसी स्तर पर अदम्य वैरवी अदम्य
हाजरी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से
फर्म होकर दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर